



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

संजय भा. गवई
Sanjay B. Gawai
कुलसचिव / Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-230902

फैक्स / Fax: +91-7152-230903


पत्रांक: 005/वि.प.ग./59(2)/23

दिनांक: 09.01.2015

अधिसूचना

विश्वविद्यालय के परिनियम 14 (I) (J) के अनुसरण में प्रो. अशोक कुमार श्रीवास्तव को विद्या-परिषद् का सदस्य नामित किया जाता है। इनका कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत निर्गत की जा रही है।



(संजय गवई)

प्रति,

प्रो. अशोक कुमार श्रीवास्तव
प्रोफेसर, शिक्षा मनोविज्ञान
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली-110016
मो.- 9971472425

प्रतिलिपि:

1. विद्या-परिषद् के सभी माननीय सदस्य
2. कार्य-परिषद् के सभी माननीय सदस्य
3. विश्वविद्यालय के सभी विद्यापीठ/विभाग/केंद्र
4. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110014
5. निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110014
6. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
7. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
8. संबंधित फाइल